न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 108/2020 (RCMS : 2020/ 00297) अनवान 1. हंसराज पुत्र श्री मनफूल राम जाति कुम्हार निवासी 3 केएचएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम **1.** पीठासीन अधिकारी, **(उपखण्ड अधिकारी), घडसाना** 2. **बलराम पुत्र बीरबलराम** जाति मेघवाल 3. **बनवारी लाल पुत्र चुन्नी लाल** जाति कुम्हार 4. **कृष्णलाल पुत्र चुन्नीलाल** जाति बिश्नोई 5. **देवीलाल पुत्र कालूराम** जाति कुम्हार 6. **धारूराम पुत्र अर्जनराम** जाति बावरी **7. माडूराम पुत्र नन्दराम** जाति कुम्हार निवासी 3 केएचएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर **8. देवीलाल पुत्र गंगाराम** जाति मेघवाल निवासी 5 केएचएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर **9. मालाराम पुत्र भादर राम** जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **10. रामकुमार पुत्र मनफूल** जाति कुम्हार निवासी 3 केएचएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर – **अप्रार्थीगण 11. ईसरराम पुत्र भूराराम** जाति बावरी निवासी ओड़ांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **12. सावित्री देवी पत्नी** प्रताप **13. सुगना देवी** पुत्री प्रताप **14. लिछमा देवी** पुत्री प्रताप **15. शंकर लाल** पुत्र प्रताप **16. भाणा राम** पुत्र प्रताप **17. अमीलाल** पुत्र प्रताप जाति चमार साकिनान हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ – **औपचारिक पक्षकार**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.09.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 6, 8, 10 के अधिवक्ता श्री जगमोहन आहुजा उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 01/2018 अनुवानी बलराम आदि बनाम हंसराज वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इस ... मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2018 अनुवानी बलराम आदि बनाम हंसराज वगै. अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठीसन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:08 IST
Reason: SelfAttested